



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 98-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक प्रथम जून, 2022
(11 ज्येष्ठ, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 123/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 —हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022।	611—612
	2. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 124/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 —हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022।	613—614
	3. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 125/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 —हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022।	615—616
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जून, 2022

संख्या सा०का०नि० 123/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 में, "बाईस" तथा "पैतीस" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अमित झा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT****Notification**

The 1st June, 2022

No. G.S.R. 123/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Rural Development Department (Group A) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998, in rule 5, for the words and signs “twenty-two” and “Thirty-Five”, the words and sign “Eighteen” and “Forty-Two” shall respectively be substituted.

AMIT JHA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Rural Development Department.